

MR. DEPUTY-SPEAKER: You can censure the Government on that or bring up another motion but not in the midst of a discussion.

DR. RAM SUBHAG SINGH: I support Shri Kikar Singh. Today is the day when Guru Teg Bahadur made the supreme sacrifice and the House should be adjourned.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let us finish this Bill... (*Interruption*).

12.41 Hrs.

BIHAR LAND REFORMS LAWS (REGULATING MINES AND MINERALS) VALIDATION BILL—contd.

SHRI HIMATSINGKA (Godda): Mr. Deputy-Speaker, Sir, in view of the decision of the Supreme Court I have no alternative but to support this Bill but while I do so I just want to invite the attention of Government to the casual manner in which the Bills are rushed through the House. Not much care is devoted to examining the provisions of the Bill and no one gives any kind of attention to the provisions of the Bill; as a result, a large number of Bills are being struck down by the High Courts and the Supreme Court. Therefore what is necessary to avoid this kind of decisions from the courts is that proper attention should be given when a measure is being discussed in the House and proper time should be allowed to Members to discuss the same. They should not be hustled and stopped from putting forward what they want to say.

This is one of the simple pieces of legislation for the lawyers of the two governments, the Bihar Government and the Central Government, to examine the position so that this could have been avoided. To bring forward a measure to make it effective from the very first day the Bihar law was passed seems rather very awkward, but we have to support it in view of the difficulties which, otherwise, the Bihar Government would be put to.

I feel that greater attention is required to be given to legislative measures which are discussed in this House and in other Legislatures which, unfortunately, is not

being done. Very important legislation affecting the whole country and economic questions are rushed through without much attention being allowed to be given to them. But because of the difficulties which will be innumerable and the Bihar Government will be placed in an awkward situation I support this Bill. However, I request the Government to allow sufficient time to Members in this respect.

Then, I am rather amazed at the attitude of the Central Government in the matter of a popular government being allowed to be established in Bihar. Shri Harihar Singh, one of the members who has been elected the leader of the party, has been very definitely stating that he has got a majority but somehow or other the Central Government is not allowing the Governor to invite him to form a ministry. Attempts are being made to set up another set of persons and to put forward that gentleman to be invited by the Governor. That does not seem to be very fair in the circumstances. When Governor's rule is there, every possible opportunity should be given for a popular government to be established so that people may have their own representatives functioning as the government and the present state of affairs in the State may come to an end. As a matter of fact, at the present moment not one single grievance is being attended to by officials. I personally complained to the Adviser about particular case giving definite proof of money having been taken. But even the letter has not been acknowledged. This is the state of affairs under the President's Rule. Therefore, it is high time that Government takes steps to allow a popular Ministry to be installed there by the party which has got the majority; Mr. Harihar Singh is claiming a majority; another person is also claiming a majority. So far as we know, Mr. Harihar Singh has got the majority and he should be invited to form the Ministry. If he cannot form the Ministry, then, of course, somebody else should be given an opportunity to form the Ministry. Why should the matter be delayed simply because he is not in tune with the wishes of the people in power here, I feel this kind of discrimination should not be made and an opportunity should be given for a popular Ministry to be installed there.

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का दो बातों से सम्बन्ध है। एक तो खान से और दूसरा भूमि सुधार से। बिहार में भूमि सुधार कानून होने के बावजूद वह इतना लंगड़ा कानून रहा कि वहाँ पर जमशेदपुर में आज भी टाटा की जमींदारी कायम है। वहाँ पर भूमि सुधार कानून लागू नहीं हुआ है, वहाँ पर मध्यवर्ती के रूप में टाटा आज भी कायम है। अगर वहाँ पर कोई जमीन खरीदना चाहे तो वह टाटा की आज्ञा से। वह टाटा की जमींदारी में रहता है, बिहार सरकार से उसका कोई सांधा सम्बन्ध नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि केन्द्रीय सरकार कुछ हिम्मत करती। मैं जानता हूँ कि सिन्डीकेट के जो मज्जत इधर आए हैं उनका भून अभी उस तरफ छूटा नहीं है। सरकार आज भी टाटा से डरती है। यही वजह है कि 26 दिनों से जमशेदपुर में हड़ताल चल रही है और भारत सरकार की हिम्मत नहीं होता है कि अपने एजान को लागू करा गके। यही कारण है कि जमींदारी आज भी वहाँ कायम है 22 सालों के बाद भी और भूमि सुधार कानून में यह संशोधन करने की आवश्यकता है कि जमशेदपुर से जमींदारी हटा दी जाए। लेकिन अफसोस की बात है कि अभी तक इस बात की कोई गुंजाइश नहीं की गई है। मैं आशा करता हूँ कि दूसरे विधेयक के जरिए इस खोज को लाने की कोशिश की जाएगी।

सदन को यह भी मालूम है कि बिहार में खान के मामलात में जो मुजरिम है, राजा कामाख्या नारायण सिंह जोकि इस कानून के मातहत ढोरी खान के मालिक थे, जहाँ पर सैकड़ों मजदूर मर गए, मुञ्जोलकर कमिशन ने उसकी जांच की और वे मुजरिम पाए गए लेकिन आज भी वे छुट्टा घूम रहे हैं। मिनिस्ट्री बनाने में भी शायद उनको जगह दी जाएगी। अब मुञ्जोलकर आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। मैं आशा करता हूँ कि भारत सरकार हिम्मत करेगी और उनको मुहानले

बनाकर कचहरी में खड़ा करेगी। जो मुजरिम साबित हुआ है उसके हथकड़ी लगनी चाहिए। हमारे बिहार के जो बड़े-बड़े नेता हैं, सिन्डीकेट के जोकि मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, अइयर रिपोर्ट आने वाली है और उनको भी हथकड़ी लगाने का मौका आ रहा है। वे भी हथकड़ी पहन कर जेल की चहारदीवारी के अन्दर जाएं। (ब्यवधान)

श्री मृत्युंजय प्रसाद (महाराजगंज) : उपाध्यक्ष जी, अइयर आयोग की रिपोर्ट अभी नहीं निकली है इसलिए उसमें क्या फंसला होगा, क्या नहीं होगा वह अभी कहना अनुचित होगा।

That is a *sub judice* case. The Ayyar Report has not yet come out. To anticipate what the Ayyar Commission will say is most improper.

SHRI YOGENDRA SHARMA (Begusarai) : He has referred to the Mudholkar Commission's Report which has found the Raja of Ramgarh guilty of misusing power (Interruptions). Such a person should not be allowed to join any Ministry. This is our charge against the Syndicate, that they are trying to form a Ministry with such people. . . . (Interruptions).

MR. DEPUTY-SPEAKER : The hon. Member referred to the Mudholkar Commission's Report which has been published. There is no point of order.

श्री भोगेन्द्र झा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि अभी हमारे मित्र और विपक्षी कांग्रेस दल के नेता डा० राम सुभग सिंह ने भी यह कहा है कि बिहार में मन्त्रीमंडल बनाने का मौका श्री हरिहर सिंह को दिया जाए तो उन के एक मजबूत स्तम्भ राजा कामाख्या नारायण सिंह मुञ्जोलकर कमिशन की जांच के आधार पर मुजरिम साबित हुए हैं . . . (ब्यवधान)

SHRI MRITYUNJAY PRASAD : He referred to the Aiyer Commission also.

SHRI YOGENDRA SHARMA : Aiyer Commission has yet to give its findings. He

[Shri Yogendra Sharma]

is saying that it will be coming sometime in the month of January. That is what he has said.

SHRI MRITYUNJAY PRASAD : Moreover, he has said that other Ministers also will get handcuffed after Aiyer Commission report comes.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Anyway I would request Mr. Jha not to say anything by way of anticipating about what a Commission that is inquiring into the matter is going to say or not going to say. If you refer to a report that is already published, that is all right but don't anticipate anything.

DR. RAM SUBHAG SINGH : The Ministers whose cases were examined by the Mudholkar Commission were in the United Front Ministry which had your own Party Ministers and they worked with your Party people.

SHRI YOGENDRA SHARMA : Mudholkar Commission's findings are that the Ministers of the United Front Ministry have acquitted themselves even better than what their admirers expected.

DR. RAM SUBHAG SINGH : Raja of Ramgarh was in your Ministry.

SHRI YOGENDRA SHARMA : Mr. Bholu Paswan Shastri said that the Raja of Ramgarh should not be taken into the Ministry. He staked his Ministry on the question of Raja of Ramgarh. (*Interruptions*).

MR. DEPUTY-SPEAKER : There is no point of order. He is making his own points. You had your opportunity. I will request you to kindly co-operate in allowing him to conclude.

श्री योगेन्द्र शर्मा : जैसा मैं कह रहा था कि बिहार में खान के मामले में जो मुजरिम हैं, राजा कामाख्या नारायण सिंह जोकि इस कानून के मातहत डोरी खान के मालिक थे, जहाँ पर सैकड़ों मजदूर मर गए, मुधोलकर कमिशन ने उस की जांच की थी और वे उस में मुजरिम पाए गए लेकिन अफसोस की बात है कि आज भी वे छुट्टी घूम रहे हैं और मिनिस्ट्री

बनाने में भी शायद उन को जगह दी जाएगी। पिछली बार भी वह मिनिस्टर बने थे बड़ी मुश्किल से उन्हें कहीं जाकर हटाया जा सका था। मुधोलकर कमिशन ने इस कामाख्या नारायण सिंह को मुजरिम और भ्रष्टाचारी पाया है। ऐसे मुजरिम का नाम हरिहर सिंह ने अपने मन्त्रीमंडल की प्रस्तावित सूची में बतौर मन्त्री के रक्खा है। जनता पार्टी के राजा कामाख्या नारायण सिंह का नाम श्री हरिहरसिंह की सूची में है जिन्हें कि वह बतौर मन्त्री के अपने मन्त्रीमंडल में लेना चाहते हैं। यह चीज बिहार का लोकमत कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि यह ऐसे मुजरिम लोग जिन्होंने कि बिहार को पिछले 22 सालों से लूटा है और जिन्हें कि मुधोलकर आयोग ने दोषी व मुजरिम पाया है वह मिनिस्टर बने। मेरा विश्वास है कि अय्यर आयोग भी इन को मुजरिम करार देगा और यह हथकड़ियां पहनेंगे। मैं नहीं जानता कि उस अय्यर आयोग का क्या फैसला होगा लेकिन मेरा यह विश्वास है कि वह उस के द्वारा मुजरिम घोषित किए जाएंगे और वह हथकड़ियां पहनगें।

आज की स्थिति में एक बड़ा खतरनाक साजिश बिहार में हो रही है। जितने बड़ी-बड़ी जमीनों के मालिक हैं वह बिहार के बड़े-बड़े मठाधीश सिडीकेट में इकट्ठा हो गए हैं। यह जमींदारों के नेता जनता पार्टी के नेता सिडीकेट गुट में इकट्ठा हो गए हैं। वह जनता पार्टी के नेता राजा कामाख्या नारायण सिंह आज मुजरिम साबित हो गए हैं..... (व्यवधान)

श्री क० ना० तिवारी : मुधोलकर कमिशन की रिपोर्ट जोकि सबमिट हो गयी है उस के बारे में जो माननीय सदस्य कह रहे हैं उस के बारे में तो मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन वह अय्यर आयोग की रिपोर्ट तो भी नहीं सबमिट हुई है और उस के बारे में माननीय सदस्य का यह कहना कि अय्यर कमिशन यह करेगा वह उचित नहीं है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have said so.

SHRI YOGENDRA SHARMA : He only says that all the landed interests in Bihar have assembled in the Syndicate. That is what he has said.

SHRI K. N. TIWARY : He has referred to Aiyar Commission also.

MR. DEPUTY SPEAKER : I would again request you not to say anything or create even a suspicion that you are referring to the work of a Commission which is still working.

श्री योगेन्द्र शर्मा : मैंने तो केवल यह कहा है कि तमाम लैंडिंग इंटरस्ट्स बिहार में सिंडीकेट के नीचे जमा हो गए हैं। वहां पर उन के द्वारा जनता पर यह लूट चल रही है। जो मधोलकर कमिशन द्वारा मुजरिम साबित हो गए हैं उन को हरिहरसिंह अपने मन्त्रीमंडल में मिनिस्टर बनाना चाह रहे हैं ताकि उन पर कोई कार्यवाही न होने पाए यह सारी साजिश वहां पर चल रही है। दुर्भाग्य से यहां इस संसद में सिंडीकेट गुट्ट के लोग, स्वतन्त्र पार्टी और जनसंघ के लोग उस साजिश में शामिल हैं।

मेरा आग्रह है कि इस विधेयक को यहां पारित किया जाए परन्तु केन्द्रीय सरकार यह हिम्मत करे कि बिहार में जो जमीन की इजारेदारी है अर्थात् कुछ मुट्ठों भर लोगों के हाथ में जमीनें हैं उन की यह इजारेदारी तोड़ी जाए और जमीन का भूमिहीनों में समुचित बंटवारा करने की ज़रूरत है। भूमि सुधार को वहां केन्द्रीय सरकार तेज़ी से लागू करे।

मेरा आग्रह है कि बिहार में इन मुजरिमों की जमात को सरकार बनाने का मौक़ा न दिया जाए। अगर उन्हें मन्त्रिमण्डल बनाने दिया गया तो बिहार में जनता द्वारा विद्रोह कर दिया जाएगा। जनता इसे कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी कि मुजरिम लोग मन्त्री बनें और उन्हें लूटें खसोटें। ऐसे मुजरिमों का जगह मन्त्रिमण्डल में नहीं अपितु जेलखाने में है। भूमि सुधार वहां पर लागू करने के बारे

में केन्द्रीय सरकार हिम्मत से काम ले और हदबन्दी के स्तर को नीचे गिराया जाए और वटाईदारों की जमीनें रेकार्ड की जाएं। इस के साथ ही जो खेत जोतने वाले हैं ऐसे लोगों को और हरिजनों को जमीन का अधिकार प्रदान किया जाए।

ज्यादा न कहते हुए अन्त में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि मौजूदा विधेयक नाक़ाफ़ी है और सरकार आगे चल कर पूर्ण विधेयक लाने की हिम्मत करे। मेरा सुझाव है कि सरकार को यह भी देखना चाहिए कि वहां पर एक लोकप्रिय जनता की सरकार स्थापित हो सके। इन के लिए मेरी राय है कि संयुक्त ममाजवादी दल आज यदि विभिन्न वामपन्थी लोगों के सहयोग से वहां पर सरकार बना सकता है तो उसे इस का अवसर दिया जाना चाहिए लेकिन यह जनता पार्टी की सरकार जिसके कि नेता मुजरिम पाए गए हैं उन्हें यह सिंडीकेट, स्वतन्त्र और जनसंघ से सांठगांठ करके सरकार बनाने नहीं देना चाहिए क्योंकि मुजरिमों का मन्त्रिमण्डल में रहना बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर आज किसी तरह वहां पर लोकप्रिय सरकार की स्थापना संभव न हो तो फिर बिहार विधान सभा को भंग किया जाए और बिहार में नए चुनाव करवाए जाए।

श्री सत्य नारायण सिंह (वाराणसी) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस परिस्थिति में यह विधेयक लाया गया है मैं उस का समर्थन करता हूँ लेकिन कुछ बातें संक्षेप में मैं आप के सामने रखना चाहता हूँ।

जब कांग्रेस के अन्दर दो गुट्ट नहीं हुए थे और बिहार के अन्दर मिनिस्ट्रों सस्पेंड की गई तब से लेकर आज तक वहां पर एक नाटक चल रहा है और कोई भी लोकप्रिय सरकार वहां पर मौजूद नहीं है। वहां पर लोकप्रिय सरकार न होने के कारण यह स्थिति बन रही है कि जनता के हितों पर चारों तरफ से हमले किए जा रहे हैं। बिहार में खेतिहर मजदूरों

[श्री सत्यनारायण सिंह]

और गरीब किसानों का आन्दोलन चल रहा है। उन को बड़ी निर्दयता से दवाने का कोशिश बड़े बड़े जर्नलदार वहाँ के कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा वहाँ पर कोई लोकप्रिय सरकार न होने के कारण गरीब जनता अपने चुने हुए सच्चे प्रतिनिधियों द्वारा अपनी मांगों, शिकायतों और उन पर होने वाले दमन व अत्याचार के विरुद्ध वहाँ पर असेम्बली में अपनी आवाज बुलन्द नहीं कर सकती। वहाँ पर गवर्नर का शासन कायम है और इस स्थिति का नाजायज लाभ उठा कर बिहार के जो जमीनों के बड़े-बड़े मालिक व जमींदार लोग हैं वह खतिहर मजदूरों और गरीब किसानों को हर तरीके से तबाह कर रहे हैं व बर्बाद कर रहे हैं। गरीबों पर होने वाले अत्याचार इन हद तक बढ़ गए कि वहाँ पर एक आदमी को पकड़ा गया, उसे मारा गया और केवल मार कर ही संतोष नहीं किया गया अपितु उस गरीब को दोनों आँवें भी निकाल ली गईं। इस तरह के दर्दनाक और हैवानियत से भरे कारनामे आज वहाँ गरीबों पर हो रहे हैं लेकिन उन को कोई आवाज पार्लियामेंट और असेम्बली के अन्दर सुनाई नहीं पड़ती। उधर बंगाल में अगर कोई रेडिकल रिफार्म करने की कोशिश की जाती है तो वहाँ पर ला एंड आर्डर की बात उठा कर खूब शोर किया जाता है लेकिन बिहार के अन्दर यह सब जो कुछ हो रहा है, गरीबों पर अत्याचार किया जा रहा है उस के लिए कहीं कोई आवाज नहीं उठाई जाती है। मैं आप से कहना चाहता हूँ कि आज बिहार की जो स्थिति है कि वहाँ पर कोई भी लोकप्रिय सरकार नहीं है तो यह स्थिति समाप्त होनी चाहिए और वहाँ पर लोकप्रिय सरकार की स्थापना की जानी चाहिए। जो पार्टियाँ यह कहती हैं कि वह बिहार में सरकार बना सकती हैं उन को सरकार को इन के लिए मौका देना चाहिए कि वह अपने दावे को सिद्ध कर सकें। जब संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी यह कहती है कि

यह बिहार में सरकार बनाने की स्थिति में है तो केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे वहाँ पर सरकार बनाने के लिए मौका क्यों नहीं दिया जाता? यह बहुत आवश्यक है कि आज की बिहार की स्थिति को समाप्त किया जाए, वहाँ पर लोकप्रिय सरकार की स्थापना हो और जनत पर होने वाले दमन व अत्याचार का अन्त किया जा सके। जनता की आवाज वहाँ की असेम्बली में उन के प्रतिनिधियों द्वारा उठाई जा सके।

मैं उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से मन्त्री महोदय से कहना चाहूँगा कि आज जब देश के कोने-कोने में यह बात मान ली गई है कि जब तक खेती में रेडिकल रिफार्म नहीं किए जाएंगे, जब तक देश के सामने मौजूद गहरे संकट की बुनियाद में जो खेतिहर संकट है उन हल नहीं किया जाएगा, तब तक देश का संकट नहीं किया जा सकता। सरकार जब तक वहाँ असेम्बली को काम करने का मौका नहीं देती है, जनता के प्रतिनिधि असेम्बली के अन्दर इकट्ठा नहीं होते हैं, तब तक कोई आर्डनेंस निकाल कर सरकार को रेडिकल रिफार्म को लागू करना चाहिए। ऐसा सरकार क्यों नहीं करती है? अगर ऐसा किया गया तभी हमारे देश और बिहार की जनता का संकट दूसरे करने में मदद मिल सकेगी।

13 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock

The Lok Sabha reassembled after Lunch at Ten Minutes Past Fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair.]

MOTION RE: CONTEMPT OF HOUSE BY SOME VISITORS

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAGHURAMIAH):

I beg to move: